(31)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र.
संभाग ग्वालियर (म.प्र.)   R-3877-I/15

~~R-3876-I/15~~   दिनांक :–

प्रकरण क्रमांक   /14 निगरानी

1. श्रीमति सुमित्राबाई पत्नि गोवर्धन मीनां आयु 57 वर्ष व्यवसाय कृषि , कृषक ग्राम फतेहगढ़ निवासी लालोनी तह. बमोरी जिला गुना
2. मनोज कुमार पुत्र गोवर्धन मीना आयु 27 वर्ष व्यवसाय कृषि, कृषक ग्राम फतेहगढ़ निवासी लालोनी तह. बमोरी जिला गुना

.... आवेदिकागण

श्री चन्द्रशेखर पाठक, अभि. 24-11-15
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-11-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन

(32)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग. 3877–एक / 14 जिला – गुना

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा समयसीमा एवं ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला गुना के आदेश दिनांक 9–2–2005 के विरूद्ध दिनांक 24.11.14 को अर्थात 9 वर्ष से अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । आवेदक का यह कहना कि पटवारी द्वारा उसे प्रथम बार दिनांक 30.9.14 को अपर कलेक्टर के आदेश के बारे में बताए जाने पर हुई प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः इस प्रकरण में विलंब का समुचित स्पष्टीकरण न होने से यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । 2– आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) सदस्य	